

कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी, बिजनौर।

संख्या

80/1

/जि0आ0अ0/व्यवस्थापन/ई-लाटरी/2020-21/बिजनौर/दिनांक

जुलाई 11,

2020

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय आबकारी आयुक्त उ०प्र० प्रयागराज के पत्र संख्या 12512-86/टास्क फॉर्स-2/ई-लाटरी/2019-20 लखनऊ:दिनांक जुलाई 10, 2020 के अन्तर्गत आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के प्रस्तर 2.7.2 (क) के अनुसार तृतीय चरण की ई-लाटरी दिनांक 19.06.2020 को सम्पन्न होने के उपरान्त अवशेष देशी मदिरा दुकानों में सन्निहित एम०जी०क्यू० एवं विदेशी मदिरा दुकान में लाइसेंस फीस के व्यवस्थापन हेतु आबकारी नीति के अनुसार नयी दुकानों के सृजन सम्बन्धी प्रेषित प्रस्तावों पर नवसृजित दुकानों के आदेश आबकारी आयुक्त उ०प्र०, प्रयागराज के पत्र संख्या-9333/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2020-21/दिनांक जुलाई 09, 2020 एवं संख्या-9520/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2020-21/दिनांक जुलाई 09, 2020 द्वारा निर्गत किये गये हैं। आबकारी आयुक्त उ०प्र०, प्रयागराज के उक्त अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 10.07.2020 के अनुसार चतुर्थ चरण की ई-लाटरी हेतु समय सारणी तथा मण्डलवार समय सारणी एवं नवसृजित दुकानों का विवरण निम्नवत् निर्धारित है:-

ई-लाटरी की समय-सारणी:-

क्रमांक	विवरण	तिथि/अवधि
1	चतुर्थ चरण की ई-लाटरी हेतु आवेदन प्रारम्भ	13.07.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से
2	चतुर्थ चरण में ऑन लाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि एवं समय	20.07.2020 सायं 05.00 बजे तक
3	चतुर्थ चरण ई-लाटरी हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण	20.07.2020 को सायं 05.00 बजे से 22.07.2020 को सायं 05.00 बजे तक
4	चतुर्थ चरण की ई-लाटरी की तिथि/समय एवं स्थल	24.07.2020 को अपराह्न 01.00 बजे विकास भवन स्थित समागार कक्ष

देशी मदिरा

क्र० सं०	दुकान का नाम	प्रास्थिति	निर्धारित प्रोसेसिंग फीस	वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित वार्षिक एम०जी०क्यू०	वर्ष 2020-21 की निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस	वर्ष 2020-21 की निर्धारित लाइसेंस फीस	वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित प्रतिभूति धनराशि	वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि	हैसियत धनराशि 2020-21
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
1	हाजीपुर सुनारावाली	ग्रामीण	20000.00	18480	609840.00	4176480.00	417648.00	60984.00	797720.00
2	बूधपुर नैनसिंह	ग्रामीण	20000.00	18480	609840.00	4176480.00	417648.00	60984.00	797720.00
3	जलालपुर (पो० कुम्हेड़ा)	ग्रामीण	20000.00	15000	495000.00	3390000.00	339000.00	49500.00	647500.00
4	फतेहपुर धारा	ग्रामीण	20000.00	10020	330660.00	2264520.00	226452.00	33066.00	432530.00
5	पैगम्बरपुर	ग्रामीण	20000.00	10020	330660.00	2264520.00	226452.00	33066.00	432530.00
6	सलाराबाद	ग्रामीण	20000.00	14952	493416.00	3379152.00	337916.00	49342.00	645428.00
7	रावटी	ग्रामीण	20000.00	21792	719136.00	4924992.00	492500.00	71914.00	940688.00
8	फैजीपुर खादर	ग्रामीण	20000.00	15624	515592.00	3531024.00	353103.00	51560.00	674436.00
9	धीवरपुरा	ग्रामीण	20000.00	15624	515592.00	3531024.00	353103.00	51560.00	674436.00

विदेशी मदिरा

क्र०सं०	दुकान का नाम	प्रास्थिति	निर्धारित प्रोसेसिंग फीस	वर्ष 2020-21 की निर्धारित लाइसेंस फीस	वर्ष 2020-21 में देय प्रतिभूति धनराशि	वर्ष 2020-21 की धरोहर धनराशि	हैसियत धनराशि
1	2	4	6	7	8	9	10
1	साहनपुर	नगर पंचायत	20000.00	2405000.00	240500.00	240500.00	2405000.00

उपरोक्तानुसार दुकानों के व्यवस्थापन हेतु चतुर्थ चरण की ई-लाटरी प्रक्रिया दिनांक 24.07.2020 को अपराह्न 01.00 बजे से विकास भवन समागार कक्ष जनपद बिजनौर में सम्पन्न करायी जाएगी। इच्छुक आवेदक दिनांक 20.07.2020 को सायं 05.00 बजे तक आवेदन कर सकते हैं तथा आवेदकों द्वारा चतुर्थ चरण की ई-लाटरी हेतु निर्धारित दुकान की प्रोसेसिंग फीस एवं धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट जो जिला आबकारी अधिकारी, बिजनौर के नाम हो, समस्त मूल रूप में कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, बिजनौर में दिनांक 20.07.2020 को सायं 06.00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा तदुपरान्त मूल रूप में प्राप्त ड्राफ्टों के विवरण जिला आबकारी अधिकारी, बिजनौर द्वारा upexciseelottery.gov.in पोर्टल पर अंकित किया जायेगा। उसके पश्चात् ही आवेदकों के आवेदन पत्रों का परीक्षण किया जायेगा तथा नियमानुसार अर्ह पाये जाने पर उन्हें ई-लाटरी के चतुर्थ चरण में सम्मिलित किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार दिये गये निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्त मदिरा दुकानों हेतु इच्छुक आवेदक ई-लाटरी पोर्टल upexciseelottery.gov.in पर आन-लाइन आवेदन कर सकते हैं।

(राजेन्द्र कुमार)

जिला आबकारी अधिकारी
बिजनौर।

(रमाकान्त पाण्डेय)

जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी
बिजनौर।

विज्ञापन हेतु नहीं

संख्या 80/2-4 / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिला आवकारी अधिकारी, बिजनौर।

✓ 2- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक/जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, बिजनौर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को जनपद की वेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

3- जिला संवाददाता, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं प्रयाण को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञापित को दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम दरों पर अगले अंक में प्रकाशित कराकर बिल भुगतान हेतु जिला सूचना अधिकारी, बिजनौर से सत्यापित कराकर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रस्तुत करें तथा साथ ही प्रकाशन की एक प्रति भी कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(रमाकान्त पाण्डेय)

जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी
बिजनौर।